

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.
उनवान

48 / 2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0बुहारु

बनाम

भागचन्द, करतार, उमराव पुत्र मेवा

श्योजी पुत्र देवा, धीरा, हीरा, मोती पुत्र सूरजकरण
जाति गुर्जर निवासी बुहारु

निर्णय

दिनांक:- 19.07.2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने ग्राम बुहारु के आराजी खसरा नंबर 511 किस्म गै.मु.छापर रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि पर बाडा बनाकर कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी नियत दिनांक को बावजूद सूचना गैर हाजिर रहे, न ही उनकी ओर से कोई वकील या प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। अतःमामला एक पक्षीय निर्णित किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी ने ग्राम बुहारु के आराजी खसरा नंबर 511 किस्म गै.मु.छापर रकबा 0.6472 हैक्टयर भूमि से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.80 का 50 गुणा 40/-रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



दि. 2022-23 रा.से.सं. 4 के पृष्ठ संख्या
27 पर सं. 40 को नाम
कायमी की गई। तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)